सत्यब्रत साहु, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
अ.शा. पत्र संख्या: 11019/4/2015-डब्ल्यूक्यू
दिनांक: 21 मई, 2015

प्रिय महोदया/महोदय,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की जानकारी में आया है कि राज्यों में प्रयोगशालाओं में अर्द्ध कुशल स्टाफ और अन्य अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के कारण जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की प्रचालन स्थितियाँ सन्तोषजनक नहीं हैं। प्रयोगशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों में प्रयोगशालाओं में कार्य करने की पर्याप्त समझ नहीं है क्योंकि अनेक राज्यों में प्रयोगशालाओं को अंतिम प्राथमिकता के रूप में माना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मंत्रालय अनुरोध करता है कि राज्यों में सभी पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए चरणबद्ध रूप में एनएबीएल एक्रेडीटेशन प्राप्त की जाए।

मंत्रालय ने दिनांक 10 अप्रैल 2015 को एनएबीएल एक्रेडीटेशन के लिए राष्ट्रीय ओरिएन्टेशन वर्कशाप के दौरान राज्य स्तर पर पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं के एनएबीएल एक्रेडीटेशन के लिए अवधि निर्धारित की है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों में प्रथम 25 प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल एक्रेडीटेशन प्राप्त करने की समय-सीमा 31 जुलाई, 2015, अगली 25 प्रयोगशालाओं के लिए 31 अक्टूबर, 2015 और राज्य में शेष परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए अगले चरण को निर्धारित किया है।

समस्याओं पर विचार करते हुए राज्यों में वाटर टैस्टिंग लैबोरेट्रीस के लिए एनएबीएल एक्रेडीटेशन प्राप्त करने के लिए राज्यों में अधिकांश राज्य स्तरीय वाटर टैस्टिंग लैबोरेट्रीस में गाइड एवं मानीटर करने हेतु पर्याप्त योग्य और अनुभवी सीनियर कैमिस्ट्स/चीफ कैमिक्ट्स (नियमित आधार पर) उपलब्ध नहीं हैं। इस स्थिति में वह स्टॉप गैप प्रबंध के रूप में राज्यों में पीएचईडी/आरडब्ल्यूएसएंडएस विभागों से योग्य, अनुभवी और सेवानिवृत कैमिस्टों/चीफ कैमिस्टों की सेवाएँ ले सकते हैं। इससे राज्यों में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को समय पर एनएबीएल एक्रेडोटेशन में सहायता मिल सकेगी। राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता परामर्शदाताओं की परिलब्धियों पर होने वाले व्यय को 3% एनआरडीडब्ल्यूपी-डब्ल्यूक्यूएम ग्रांट के अंतर्गत उपलब्ध फंड से पूरा किया जा सकता है।

सादर,

आपका

(सत्यब्रत साहु)

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सभी राज्यों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रभारी-सचिव।